

## प्रेस नोट दिनांक 25.03.2021

1. दिनांक 24.03.2021 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सचिन पासवान पुत्र राम दरश नि0 चरेरा थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 108/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 24.03.2021 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव प्रसाद पुत्र झपसी नि0 चरेरा थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 109/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 24.03.2021 को वादी उ0नि0 श्री अरूण कुमार सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमारी पत्नी लक्ष्मण नि0 भावापुर थाना को0बीकापुर अयोध्या गिर0 अभियुक्ता के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 131/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 24.03.2021 को वादी उ0नि0 श्री राजकुमार पटेल थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार मौर्या पुत्र बद्री मौर्या नि0 पाराराम थाना हैदरगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 62/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 24.03.2021 को वादी उ0नि0 श्री हरे कृष्ण थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मंजू पत्नी विनोद पासी नि0 मसेढा थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्ता के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 98/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6. दिनांक 24.03.2021 को वादी उ0नि0 श्री उमेश कुमार वर्मा थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विनोद पासी पुत्र धोखई नि0 मसेढा थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 99/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7. दिनांक 24.03.2021 को वादी उ0नि0 श्री अभिषेक त्रिपाठी थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्रीराम पुत्र राम बक्श रैदास नि0 सरवनपुर थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 46/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

8. दिनांक 24.03.2021 को वादी उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विद्यावती पत्नी देशराज नि0 बहरास थाना को0रुदौली अयोध्या गिर0 अभियुक्ता के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 133/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

9. दिनांक 24.03.2021 को वादी उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मालती पत्नी देवबक्श नि0 बहरास थाना को0रुदौली अयोध्या गिर0 अभियुक्ता के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 134/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 24.03.2021 को वादी उ0नि0 श्री राम खेलाड़ी थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम लखन पुत्र राम सुमिरन नि0 राममऊ थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 58/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।